

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 08/2016 आवंटन निरस्ती

श्री वीरजी पुत्र श्री थावरा भील, निवासी गाँव पर्ई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री पुनमचन्द पिता श्री थावरा भील, निवासी पर्ई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती चुनकी पत्नि श्री पुनमचन्द भील, निवासी पर्ई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोंडेन्टगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत आवंटन निरस्त करवाने हेतु

- उपस्थित:
1. श्री विजय ओस्तवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
 2. श्री रमेश नन्दवाना, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्टगण

निर्णय

दिनांक:—.....

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी श्री पूनमचन्द एवं चुनकी को मौजा पर्ई के आराजी नम्बर 551 रकबा 0.0850, आराजी नम्बर 552 रकबा 0.0200, आराजी नम्बर 553 रकबा 0.0200 व आराजी नम्बर 554 रकबा 0.0300, कुल कित्ता 4 रकबा 0.1550 हैक्टर भूमि दिनांक 29.10.01 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गई। परन्तु उक्त आवंटन विपक्षी द्वारा पटवारी से मिलकर छुपके से अपने नाम करवा लिया जबकि प्रार्थी का 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा

होकर प्रार्थी का एक मकान भी इस जमीन पर बना हुआ है जिसमें वह अपने परिवार सहित निवास करता है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई गुणावगुण पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपने आदेश प्रकरण संख्या 07/06 आ.नि. निर्णय दिनांक 29.09.08 से इस आशय से खारीज कर दिया कि क्योंकि विपक्षी को भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया है। जिसमें आवंटन की शर्तों का उल्लंघन नहीं रहा है। आवंटीत भूमि का कब्जा भी सिपुर्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया गया।

न्यायालय के आदेश दिनांक 29.09.08 से रूष्ठ होकर प्रार्थी द्वारा एक प्रथम अपील न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में की गई। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 5/09 आदेश दिनांक 29.02.16 से न्यायालय के आदेश दिनांक 29.09.08 को निरस्त करते हुए पत्रावली इन निर्देशों के साथ में पुनः प्रतिप्रेषित की गई कि “हस्ब कमीश्नर रिपोर्ट एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के आलोक में आवंटन शर्तों एवं कब्जे के महत्वपूर्ण तथ्यों का विवेचन नहीं किया गया है। जो स्पष्टतया त्रुटीपूर्ण हैं। अतः दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः हस्ब पेशशुदा रेकार्ड का विश्लेषण कर निर्णय पारित करें।”

उक्त निर्देशों के साथ में प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दोनों पक्षकारों को सुना गया। नये सीरे से मौके की रिपोर्ट ली गई।

विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादीत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होकर उसपर मकान बना हुआ है। जिस पर वह परिवार सहित निवास करता है। इसी भूमि में एक कुँआ भी खोदा है। भूमि को काफी लागत व मेहनत से उपजाऊ व काबिल काश्त बनायी है। प्रार्थी का इस भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। उसके द्वारा पटवारी से मिलकर गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन करवाया गया। जो काबिले निरस्त है। जिसका आवंटन खारीज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपने कथनो में निवेदन किया कि भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी को आवंटीत की गई हैं। आवंटन पश्चात् आवंटीत भूमि का विधिवत कब्जा पटवारी द्वारा आवंटी को सिपुर्द किया गया। तब से ही आवंटी का ही नियमित कब्जा हैं। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि मकान व कुआँ बना हुआ हैं। आवंटीत भूमि पर कोई भी मकान नहीं बना हुआ हैं। नाही कोई कुआँ ही खुदा हुआ हैं। आवंटीत भूमि पर प्रार्थी द्वारा काश्त मक्की की ली जा रही हैं। वैसे भी कब्जे के आधार पर कोई भी भूमि पर अपना अधिकार नहीं जता सकता हैं। यदि प्रार्थी का इस भू भाग पर किसी प्रकार का आंशिक कब्जा रहा भी है तो वह अतिक्रमी की श्रेणी में माना जावेगा एवं उसे नियमानुसार बेदखल किया जावेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। विपक्षी द्वारा अपने ही कथन में कहा कि मेरे द्वारा इस भूमि पर काश्त की जा रही है जिसकी सत्यता में किसी भी वर्ष की खसरा गिरदावरी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। संलग्न पत्रावली भू अभिलेख निरीक्षक नाई की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.08 में यह अंकित किया है कि मौके पर प्रार्थी वीरजी पिता थावरा भील का ही कब्जा हैं तथा मौके पर जो मकान बनाया है उसमें प्रार्थी वीरजी अभी निवास कर रहा हैं। मकान कच्चा केलुपोश है जो पुराना बना हुआ हैं। इस जमीन से लगी हुई भूमि वीरजी के पिता के नाम पर हैं। जिस पर भी विरजी काश्त करता हैं। इस पर्वे मौके में प्रतिवादी ने यह जाहीर किया कि इन आराजीयात पर मेरा कब्जा नहीं हैं। कब्जे के संबंध में न्यायालय द्वारा पुनः उप तहसीलदार बारापाल से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर भी उप तहसीलदार बारापाल द्वारा उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि विपक्षी पुनमचन्द व चुनकी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। परन्तु मौके पर कब्जा काश्त वीरजी का फाईल होना जाहीर किया गया। साथही जाहीर किया कि आवंटी श्री पुनमचन्द पिता थावरा

जो कि प्रार्थी का सगा भाई हैं। चुनकी पत्नि पुनमचन्द का कब्जा उक्त आराजीयात पर कभी भी नहीं रहा। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के प्रकरण संख्या 114/06 वाद निर्णय दिनांक 20.12.07 में विपक्षी पुनचन्द व चुनकी द्वारा एक अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी ए के तहत प्रार्थी वीरजी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा अपने आदेश में विपक्षी का वाद इसलिये खारीज कर दिया कि गैरखातेदारी भूमि वादी स्वयं के कब्जे को पूर्णतया सिद्ध नहीं कर पाया। जिससे जाहीर होता है कि आवंटीत भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा नहीं रहा है।

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्ट्या यह साबित होता है कि विपक्षी श्री पुनमचन्द पिता थावरा व श्रीमती चुनकी पत्नि पुनमचन्द को मौजा पर्ई में आवंटीत भूमि आराजी नम्बर 551, 552, 553, 554 किता 4 रकबा 0.1550 हैक्टर भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। नाही इनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मौजा पर्ई तहसील गिर्वा की आराजी नम्बर 551 रकबा 0.0850, आराजी नम्बर 552 रकबा 0.0200, आराजी नम्बर 553 रकबा 0.0200 व आराजी नम्बर 554 रकबा 0.0300, कुल किता 4 रकबा 0.1550 हैक्टर भूमि को विपक्षी पुनमचन्द पिता थावरा एवं चुनकी पत्नि पुनमचन्द को किया गया आवंटन खारीज किया जाकर भूमि को बिलानाम घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को प्रेषित की जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार दर्ज करा तहवील सरकार ली जावें एवं अन्य किसी का कब्जा हो तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर